

मीमा रेणु कुमारी

8-11-17

Online Entry

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

केश नं० 703/2017.....

धारा 107 द.प्र.स.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पत्र पर की गई कारवाई

मफ़ कृपाल बनाम सुनील रिट एवम् अन्य

20/5/17

कुमारकुमारी थाना अप्राथमिकी सं० 13/17

6/6/17

प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी

20/6/17

स० अ० नि०/अ० नि० कुमारकुमारी ने जाँच कर अपना

6.7.17

प्रतिवेदन थाना प्रभारी कुमारकुमारी थाना एवं

19/7/17

अ० निरी० सिरकुरी ने अग्रसारित किया

21/7/17

है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच

25/7/17

8/8/17

जमा कर विवाद का लेकर

28/8/17

11/9/17

तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति

25/9/17

भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा

13/10/17

सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव

15/10/17

व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती

15/10/17

है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107

31/10/17

द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ

14/11/17

कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 8.5.17 को 10.30 बजे

29/11/17

पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं

18/12/17

लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।

2/1/18

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद